





स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत भाग क भरने के लिए टिप्पणियां

**Notes for filling up of Part A - Under SHG Bank Linkage Program**

\* एसजीएसवाई /एनआरएलएम के अंतर्गत प्रवर्तित समूह और अथवा समूह जो ब्याज सबवेंशन और एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत अन्य लाभ पाने के लिए पात्र हैं अथवा जो प्राप्त कर रहे हैं उन्हें शामिल किया जाए Groups promoted under SGSY/NRLM and or groups which are eligible for receipt or groups which are in receipt, of interest subvention and other benefits under SGSY/NRLM may be included.

\*\* एसजेएसआरवाई /एनयूएलएम के अंतर्गत प्रवर्तित समूह और अथवा समूह जो ब्याज सबवेंशन और एसजेएसआरवाई /एनयूएलएम के अंतर्गत अन्य लाभ पाने के लिए पात्र हैं अथवा जो प्राप्त कर रहे हैं उन्हें शामिल किया जाए Groups promoted under SJSRY/NULM and or groups which are eligible for receipt or groups which are in receipt, of interest subvention and other benefits under SJSRY/NULM may be included.

\*\*\* उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत शामिल न किए गए सभी स्वसस को शामिल किया जाए All other SHGs not covered under (i) and (ii) may be included.

क (i) , क (ii) और क (iii) का योग क के बराबर होना चाहिए **Total of a(i), a(ii) and a(iii) should be equal to a.**

अलग-अलग विवरणियां प्रस्तुत की जाएं Separate statements may be furnished

(i) प्रत्येक राज्य के लिए for each state (ii) समग्र रूप में देश Country as whole

भाग ख -समूहों तथा अन्यो को आगे ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म वित्त संगठन/सूक्ष्म वित्त संस्था-बैंक सहबद्धता

Part 'B' : MFOs/ MFIs- Bank Linkage for on-lending to groups and others

(Amt. in ₹ lakh)

क्रम सं. S. No.	मध्यस्थता का प्रकार / Nature of Intermediary	वर्ष के दौरान During the year		बकाया ऋण Loan outstanding		मांग के समक्ष वसूली का	सकल अनर्जक आस्तियाँ Gross NPAs#	
		सूक्ष्म वित्त संगठन/ संस्थाओं की संख्या No. of MFOs/MFIs	संवितरित Loan disbursed	उन सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संख्या जिनके पास ऋण बकाया है No. of MFIs having O/S loans	राशि Amount	Percentage of Recovery to Demand	सूक्ष्म वित्त संगठन/संस्थाओं की संख्या जिनमें अनर्जक आस्तियाँ हैं No. of MFOs/ MFIs with NPAs	राशि Amount
1.	गैर-सरकारी संगठन सूक्ष्म वित्त संगठन- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय न्यास अधिनियम, 1880 NGO MFOs - Societies Registration Act 1860 and Indian Trust Act 1880	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						
2.	सहकारी सूक्ष्म वित्त संगठन- प्रत्येक राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम Cooperative MFOs- Cooperative Societies Act of each State	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						
3.	सहकारी सूक्ष्म वित्त संगठन - परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम Cooperative MFOs- Mutually Aided Cooperative Societies Act (MACS)	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						
4.	सहकारी सूक्ष्म वित्त संगठन-बहु-राज्य सहकारीसोसाइटी अधिनियम,2002 Cooperative MFOs- Multi- State Coop. Societies Act 2002	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						

5.	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (लाभार्थ नहीं) NBFC MFIs under Section 25 of Companies Act 1956 (Not for profit)/Section 8 of Companies Act 2013	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						
6.	कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत शामिल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ NBFC MFIs incorporated under Companies Act 1956 or Companies Act 2013 & registered with RBI	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (To be specified)	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						
	योग्य / Total	स्वसस मॉडल SHG Model						
		गैर-स्वसस मॉडल Non-SHG Model						

# केवल मार्च की विवरणी के लिए लागू / **Applicable to March return only.**

### पार्ट ख भरने के लिए टिप्पणियां

#### **Notes for filling up Part B**

एमएफओ/एमएफआई के हर प्रकार के अंतर्गत यदि ऋण स्वसस को वितरित किए गए हैं तो डाटा 'स्वसस मॉडल' के अंतर्गत दर्शाया जाए। यदि एमएफओ/एमएफआई द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अलग-अलग सदस्यों को ऋण वितरित किए गए हैं तो उसे गैर-स्वसस मॉडल के अंतर्गत सूचित किया जाए।

Under each type of MFO/MFI, if the loans are disbursed to SHGs, then data may be shown under 'SHG model'. If the loans are disbursed by MFO/MFI directly to individual members, then it may be reported under 'Non-SHG model'.